JALAUN POLICE

दिनांक – 27.07.2026

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2026 को श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 सन्तराम श्रीवास्तव ग्राम भदेख थाना कुठौन्द जनपद जालौन हाल पता कस्वा गोरमी थाना गोरमी जनपद भिण्ड द्वारा कोतवाली उरई पर तहीरीर सूचना दी गयी कि अभियुक्त प्रशान्त विश्वास द्वारा वादी के छोटे भाई गुड्डु उर्फ अरूण कुमार उम्र करीब 52 वर्ष के साथ शराब पीने के दौरान आपसी कहासुनी में सिर में लकडी की फन्टी मार दी है, जिससे गुड्डू उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उपचार के दौरान दिनांक 26.07.2026 को मृत्यु हो गई है। जिसके संबन्ध में कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 437/26 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया।

कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर इत्यादि का अवलोकन कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। जिसके फलस्वरूप आरोपी प्रशान्त विश्वास पुत्र नारायण विश्वास निवासी ग्राम टैगराखल थाना हसकली जिला नदिया, पश्चिम बंगाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रारम्भिक पूछताछ में विदित हुआ है कि मृतक गुड्डु उर्फ अरुण कुमार व आरोपी प्रशान्त विश्वास चुर्खी बाईपास के पास मुहल्ला नया पटेल नगर उरई में किराये के मकान में एक साथ रहकर शटरिंग लगाने का काम करते थे। दिनांक 24/25.07.2026 की रात्रि में दोनों शराब पी रहे थे। तभी शराब के नशें में दोनों के मध्य झगड़ा हो गया तो आरोपी प्रशान्त ने आवेश में आकर गुड्डू उपरोक्त के सिर में लकड़ी की फन्टी मार दी थी। जिससे गुड्डू उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गया था। दिनांक 26.07.2026 को मेड़िकल कालेज झांसी में उपचार के दौरान गुड्डू उपरोक्त की मृत्यु हो गयी है। घटनास्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई द्वारा किया गया है एवं फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।